(2022/72)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राज0)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
मालमसिंह पुत्र नैनसिंहजी जाति राजपुत निवासी खिन्दावा तहसील बाली जिला पाली वगैरा		मनोहरसिंह पुत्र नैनसिंहजी जाति राजपुत निवासी खिन्दावा तहसील बाली जिला पाली वगैरा

राजस्व वाद प्रकरण सं. 102/20216 **GCMS NO.** 2016 /00131

वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 डिक्री दिनांक 21.12.2017

(प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 सी.पी.सी.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
15.02.2022	वकील प्रार्थीगण श्री गणपतलाल चौधरी मय प्रार्थी मालमसिंह उपस्थित। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा राजस्व वाद प्रकरण सं. 102/20216 **GCMS NO.** 2016 /00131 वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिनांक 21.12.2017 को फाईनल डिक्री जारी करते समय पक्षकारो के आवागमन के लिये रास्ता प्रयोजन के लिये छोडी गई भूमियो का अंकन नहीं किया गया, जिससे पारित निर्णय व डिक्री को संशोधन किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया गया कि तहसीलदार, बाली द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे, उसमें खसरा नंबर 168/2 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 168/14 रकबा 0.015 हैक्टर, खसरा नंबर 168/17 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 170/2 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 238/1 रकबा 0.02 हैक्टर खसरा नंबर 240/1 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 241/1 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नंबर 246/1 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नंबर 247/1 रकबा 0.03 हैक्टर भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया था। जिससे धारा 152 सी.पी.सी. के प्रावधानो अनुसार अंतिम डिक्री में संशोधन किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में न्यायालय की पुर्व निर्णित पत्रावली राजस्व वाद 102/2016 अनवान मालमसिंह वगैरा बनाम मनोहरसिंह वगैरा निर्णय दिनांक 21.12.2017 तलब की गई। उक्त पत्रावली में तहसीलदार, बाली द्वारा प्राथमिक डिक्री आदेश की अनुपालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव एवं न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.2017 को जारी फाईनल डिक्री निर्णय एवं डिक्री पर्चा का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यो का भी अध्ययन किया गया। इसके साथ ही विभाजन के पश्चात् की अलग–अलग जमाबंदीयो, (नवीनतम कम्प्युटराईज्ड) में वर्तमान दर्ज इन्द्राजो का भी अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रमाणित हैं कि तहसीलदार, बाली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ही न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.2017 को फाईनल डिक्री जारी की गई अर्थात् खसरा नंबर 168/2 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 168/14 रकबा 0.015 हैक्टर, खसरा नंबर 168/17 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 170/2 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 238/1 रकबा 0.02 हैक्टर खसरा नंबर 240/1 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 241/1 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नंबर 246/1 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नंबर 247/1 रकबा 0.03 हैक्टर की भूमियो को रास्ते प्रयोजन रखने बाबत् उल्लेख खसरा नंबर के कॉलम में इन खसरा नंबर के **नीचे रास्ता** का अंकन किया गया है। परन्तु जमाबंदियॉ की जो प्रतियॉ प्रस्तुत की गई है, उसमें रास्ता का अंकन नहीं होकर पुर्व की किस्म ही अंकन की गई है, जबकि निर्णय के अनुसार जमाबंदी में भी किस्म के साथ रास्ता प्रयोजन का नोट अंकन किया जाना अनिवार्य था। रास्ता प्रयोजन का राजस्व अभिलेख में अंकन नहीं होने से सह खातेदारो द्वारा रास्ता प्रयोजन के लिये रखी गई भूमि पर अतिक्रमण करने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। राजस्व नक्शे एवं राजस्व रिकार्ड में कदीमी रास्ते दर्ज किये जाने के संदर्भ में हाल ही में	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमॉकः प.3(17) राज–6/ 2021/ पार्ट/ 91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 का अवलोकन किया गया। **परिपत्र के बिन्दु संख्या–06 के अनुसार– कई बार सह खातेदारो द्वारा अपनी जोतो के विभाजन के समय अपनी जोतो तक पहुँचने के लिए कुछ भूमि रास्ते के रूप में छोडी जाती है। इस प्रकार की भूमि को रास्ते के रूप में नक्शे में दिखाने के साथ–साथ राजस्व रिकार्ड में भी उसे अलग नम्बर दिया जाकर उसका क्षैत्रफल अंकित करते हुए राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज किया जावे। यदि यह रास्ते आगे किसी सार्वजनिक रास्ते पर खुलता/मिलता हो तो ऐसे रास्ते को भी सार्वजनिक रास्ते के रूप में अभिलेख में दर्ज किया जाना चाहिए। यदि यह रास्ता केवल सह खातेदारो के जोतो तक ही सीमति हो तो उस रास्ते को सभी सह खातेदारो के नाम दर्ज किया जाना चाहिए। विभागीय परिपत्र क्रमॉक प.5(1) राज/8/97 दिनांक 06.11.2004 के अनुसार सबंधित अधिकारी द्वारा विभाजन करने से पूर्व प्रत्येक सबंधित काश्तकार के लिए रास्ते का प्रावधान रखे जाने के निर्देश हैं।**

इस प्रकार न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.2017 को जारी फाईनल डिक्री आदेश व तद्नुसार जारी फाईनल डिक्री पर्चा में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित खसराजात की भूमियो को रास्ता रखने का स्पष्ट उल्लेख/अंकन होने के बावजुद तहसीलदार, बाली द्वारा निर्णय की पालना में रास्ता प्रयोजन रखी गई भूमि को गै.मु. रास्ता दर्ज नहीं किया गया है, जबकि तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, पादरला को निर्णय अनुसार इसका अंकन करना आवश्यक था। उक्त अंकन नहीं होने से पक्षकारो में रास्ते प्रयोजन के लिये छोडी गई भूमि के सबंध में विवाद होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः पक्षकारो के मध्य रास्ते की भूमि को लेकर कोई अन्यथा विवाद न हो, इस हेतु प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में उलेखित खसरा नंबर 168/2 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 168/14 रकबा 0.015 हैक्टर, खसरा नंबर 168/17 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 170/2 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 238/1 रकबा 0.02 हैक्टर खसरा नंबर 240/1 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 241/1 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नंबर 246/1 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नंबर 247/1 रकबा 0.03 हैक्टर के राजस्व अभिलेखो में तहसीलदार, बाली न्यायालय द्वारा जारी फाईनल डिक्री दिनांक 21.12.2017 अनुसार एवं हाल ही में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमॉकः प.3(17) राज–6/ 2021/ पार्ट/ 91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या–06 के अनुसार रास्ता दर्ज कर पालना सुनिश्चित करे। इस हेतु आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, पादरला को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल राजस्व वाद संख्या 102/2016 अनवान मालमसिंह वगैरा बनाम मनोहरसिंह वगैरा अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 निर्णय दिनांक 21.12.2017 के संलग्न हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन,
उपखण्ड अधिकारी बाली

Scanned with CamScanner